UPMZ010002642023

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफफरनगर

पीठासीन अधिकारी– चवन प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP6536

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 170 सन 2023

1. जोगेन्द्र
2. कपिल

पुत्रगण भंवर सिंह
निवासीगण रतनपुरी थाना रतनपुरी,
जनपद मुजफफरनगर

अपराध संख्या– 161 सन 2022
धारा –147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता
थाना– रतनपुरी
जनपद– मुजफ्फरनगर

02.02.2023

अभियुक्तगण **जोगेन्द्र एवं कपिल पुत्रगण भंवर सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अपराध संख्या– 161 सन 2022 धारा –147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना– रतनपुरी जनपद–मुजफ्फरनगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2023 को बल न देने के आधार पर निरस्त किया गया था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी बिजेन्द्र के द्वारा दिनांक 4.11.2022 को थाना रतनपुरी पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 4.11.2022 को सुबह करीब साढे सात बजे वादी अपने घेर से जा रहा था तभी रास्ते में गॉव के जोगेन्द्र, विरेन्द्र, नरेन्द्र, सतेन्द्र, मोनू, निखिल ने वादी को पकड लिया और एक राय होकर अपने हाथो में लिये डंडा तबल से जान से मारने की नीयत से वादी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर पर वादी का भतीजा मोनू व बिटटू भी आ गये जिन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। अन्य लोगों को आता देख अभियुक्तगण मौके से भाग गये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष है। उन्हें पार्टीबाजी के कारण झूठा फॅसाया गया है। वादी ने तहरीर में यह नहीं लिखाया है कि किस अभियुक्त के हाथ में क्या

Digitally signed by Chawan Prakash
Date: 2023.02.02 16:44:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हथियार था। पूरे परिवार को लिप्त व जेल भिजवाने की मनसा से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गयी है। असल तथ्य यह है कि वादी पक्ष बिजेन्द्र, मोनू, बिटटू आदि ने पूर्व योजना के तहत हमला किया। जोगेन्द्र, नरेन्द्र तथा नेहा को अपने हाथ में लिये हथियारों से जान से मारने की नीयत से सिर व शरीर के अन्य स्थानों पर चोटें पहुचायी। उनका डाक्टरी मुआयना भी पुलिस ने नहीं कराया। घटना का क्रॉस वर्जन है तथा धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 170 सन 2022 धारा 452, 352, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता दर्ज है। पुलिस उक्त मुकदमे की निष्पक्ष जॉच नहीं कर रही है। जोगेन्द्र की पत्नी विनय रानी के नाम गॉव रतनपुरी में ही प्लाट 668.88 वर्गमीटर है जिसका बैनामा दिनांक 14.05.2019 को हुआ था। प्लाट पर वादी पक्ष के लोगों ने बदमाशी व गुण्डागर्दी रास्ते व प्लाट पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी पक्ष उक्त प्लाट पर निर्माण करने नहीं दे रहा है। विनय रानी व जोगेन्द्र के बराबर में रामबीर, जफर खॉ, जमीर अहमद आदि के प्लाट हैं। विनय रानी के प्लाट के सामने अनीता पत्नी बिजेन्द्र का प्लाट है। बिजेन्द्र आदि ने पूरे रास्ते को मिलाकर सामने वाले प्लाट पर कब्जा कर रखा है, कुछ निर्माण नहीं करने देते है। सतेन्द्र ने दिनांक 14.05.2019 को प्लाट खरीदा था जिस पर रास्ते व प्लाट के कब्जे के लिये सुभाष, बिजेन्द्र व जीत विवाद करते थे। उपजिलाधिकारी ने दिनांक 26.09.2022 को जब अभियुक्त प्लाट की नीव भरने के लिये गये तो वादी पक्ष सुभाष, बिजेन्द्र व जीत ने गाली गलौज करते हुए सतेन्द्र को प्लाट से निकाला तथा निर्माण कार्य नहीं करने दिया। विवेचक आनन्द कुमार ने उक्त मामले की विवेचना की। वह मुल्जिम पक्ष के मैडिकल ना कराकर वादी पक्ष को लाभ दे रहा है। उक्त लोगों के विरूद्व आज तक 122–बी दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही नहीं की है। अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। दोनों पक्षों को चोटें है तथा साधारण प्रकृति की है। घटनास्थल को स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी पक्ष भूमाफिया किस्म के है तथा कहा कि चुटैल बिजेन्द्र की एक्स–रे रिपोर्ट दिनांकित 4.11.2022 में कोई बोन इंजरी नहीं पायी गयी थी। दिनांक 7.11.2022 को बिजेन्द्र का एनसीसीटी कराया गया था परंतु उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। मामले में धारा 325 व 308 भारतीय दंड संहिता की बढोतरी की गयी थी लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2 के द्वारा दिनांक 7.12.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था कि पूर्व में जो धाराऍ 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता लगायी गयी थी वे ही धाराऍ बनी रहेंगी, किसी भी धारा में कोई परिवर्तन नही होगा। चुटैल बिजेन्द्र का दौबारा सीटी स्कैन दिनांक 14.11.2022 को जिला अस्पताल मुजफफरनगर में हुआ है। अभियुक्तगण पूर्व सजायाफता नहीं है। जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी।

वहीं दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी की ओर से जमानत का विरोध किया गया तथा संयुक्त रूप से कहा गया कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर वादी पक्ष पर हमला कर बिजेन्द्र को 9 चोटें, बिटटू व मोनू को 5–5 चोटे पहुचायी है। चुटैल विजेन्द्र के सीटी हैड रिपोर्ट के अनुसार उसे right parietal scalp hematoma noted and undisplaced fracture of right temporal bone

अंकित किया गया है। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान में चुटैलों के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। विवेचक ने सही प्रकार से विवेचना नहीं की है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी तथा कहा कि सह अभियुक्त सतेन्द्र की जमानत इस न्यायालय द्वारा समान तथ्यों के आधार पर निरस्त की जा चुकी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 4.11.2022 को सुबह करीब साढे सात बजे वादी बिजेन्द्र अपने घेर से जा रहा था तभी रास्ते में गॉव के जोगेन्द्र, विरेन्द्र, नरेन्द्र, सतेन्द्र, मोनू, निखिल ने वादी को पकड लिया और एक राय होकर अपने हाथो में लिये डंडा तबल से जान से मारने की नीयत से वादी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर पर वादी का भतीजा मोनू व बिटटू भी आ गये जिन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। अन्य लोगों को आता देख अभियुक्तगण मौके से भाग गये। धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयान में चुटैलों के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। चुटैल बिजेन्द्र के चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार चुटैल बिजेन्द्र को 9 चोटें एवं मोनू व बिटटू को 5–5 चोटें आना उल्लिखित है तथा चुटैल विजेन्द्र के सीटी हैड रिपोर्ट के अनुसार उसे right parietal scalp hematoma noted and undisplaced fracture of right temporal bone अंकित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। सह अभियुक्त सतेन्द्र की जमानत इन्ही आधारों पर इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **जोगेन्द्र एवं कपिल पुत्रगण भंवर सिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अपराध सांख्या 161 सन 2022 धारा –147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना– रतनपुरी जनपद मुजफफरनगर **निरस्त** किया जाता है।

(चवन प्रकाश)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांकः 02.02.2023